दिनांक	आज्ञा पत्र
2/7/18	पत्रावली वास्ते आदेश प्रस्तुत । संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी/ रेस्पोंडेन्ट संख्या-1 व 2 ने अदालत मातहत में दावा बाबत इस्तकरारहक दुरूस्ती रेकार्ड खाता विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा पेश कर निवेदन किया कि आराजी खनं0 1174 रकबा 1.30 हैक्टर, खनं0 1175 रकबा 0.09 हैक्टर कुल किता-2 रकबा 1.39 हैक्टर वाके ग्राम ईस्लामपुर जिसके पुराने खनं0 439 रकबा 5 बीघा 10 बिस्वा 00 थे । उक्त आराजी का वादी का दादा स्व0 चन्द्रा खातेदार काश्तकार था जिसने इस आराजी में से 1/2 हिस्सा प्रतिवादी सं0-2 के पिता स्व0 हनुमान को दे दी । खसरा गिरदावरी सं0-2009 से 2012 में इस जमीन की 1/2 हिस्से की काश्त वादी के दादा चन्द्रा के तथा शेष 1/2 हिस्से की काश्त प्रतिवादी सं0-2 के पिता स्व0 हनुमान की दर्ज है। जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रभाव में आया तब भी इसी प्रकार 1/2, 1/2 की काश्त दर्ज रही है। दिनांक 14-7-1062 को नामान्तरकरण सं0-155 ब चन्द्रा व हनुमान के नाम दर्ज हुआ । जिसके आधार पर जमाबन्दी सं0- 2015 में अंकन किया गया वादी सं0-1 के दादा चन्द्राराम का देहान्त दिनांक 3-5-69 को तथा वादी सं0-1 के पिता का देहान्त चन्द्राराम के जीवनकाल में ही हो गया था । चन्द्रा के एक मात्र वादी का पिता मन्साराम ही पुत्र था तथा वादी संख्या-2 की माता मु0 रूकमा पुत्री थी जिसकी शादी कर दी थी । इस कारण उक्त आराजी पर वादी अकेला ही काबिज काश्त रहा है । किन्तु चन्द्रा के दो वारिस वादी संख्या-1 व उनकी पुत्री वादी सं0-2 की माता रूकमा हुए । इस कारण उक्त आराजी वादी संख्या-1 की 1/2 में बराबर बराबर हिस्सा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

दिनांक	आज्ञा पत्र	
	उक्त आराजी में 1/2 हिस्सा वादी संख्या-1 का व 1/2 हिस्सा प्रतिवादी सं0-2 से 9 का है । किन्तु राजस्व कर्मचारियों में ने हनुमान से साज कर हनुमान के पिता का नाम चन्द्रा दर्ज होने का नाजायज फायदा उठाते हुये वादी की जाति दर्जी को छिपा कर बिना नामान्तरकरण के ही उक्त सम्पूर्ण आराजी हनुमान के नाम दर्ज कर दी । जो वादी के अधिकारों एवं के विपरित एब इनिसियो नल एण्ड वोईड है जो शून्य एवं बेअसर है ।चन्द्रा पुत्र नत्थू जाति से दर्जी तथा हनुमान पुत्र चन्द्रा जाति से ब्राहम्ण था। इस कारण पिता पुत्र होने का प्रश्न ही नहीं है ।हनुमान एवं हनुमान के पुत्र जगदीश का देहान्त होने पर यह आराजी प्रतिवादी सं0-3 से 9 का 1/2 हिस्सा व 1/2 हिस्सा वादी संख्या-1 का है । प्रतिवादी संख्या-3 से 9 गलत राजस्व रेकार्ड का लाभ उठाते हुये। एक विक्रय पत्र प्रतिवादी संख्या-1 के पक्ष में करवा दिया जिसका उन्हे कोई हक अधिकार नहीं है । प्रतिवादी संख्या-1 उक्त विक्रय पत्र की आड में वादी को बेदखल कर इस आराजी के उपयोग उपभोग में में बाधा डालेगा जबकि उक्त आराजी में प्रतिवादी सं0-1 को विक्रय पत्र के आधार पर केवल 1/2 हिस्से का ही काबिज खातेदार है । 1/2 हिस्से का वादी खातेदार काबिज काश्तकार है । जिसको 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे ।अदालत मातहत ने दावा स्वीकार कर वादी को उक्त आराजी में पश्चिम साईड के 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित कर दिया । जिससे क्षुब्ध होकर अपीलान्ट ने यह अपील पेश की ।	

	अपील दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया । अदालत मातहत की पत्रावली मंगाई जाकर शामिल पत्रावली की गई बहस विद्वान अभिभाषकगण सुनी गई । बहस बगौर समाहत की गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया ।अदालत मातहत की आदेशिका	

का अवलोकन किया जिसमें पत्रावली दिनांक 15-4-15 को पत्रावली प्रतिवादी सं0-2 से 10 हेतु दिनांक 22-4-15 को पेश होने के लिये तारीख पेशी दी गई । इसके बाद में मोहन लगाकर तीन तारीख पेशी दी जिसमे परिठासीन अधिकारी न्यायालय में नही बैठे तथा दिनांक 26-8-2015 को पत्रावली में आगामी पेशी दिनांक 4-11-2015 नियत की गई । इस दिनांक से पूर्व ही वादी/रेस्पो ने दिनांक 6-9-15 को एक आवेदन पेश किया जिस पर अदालत मातहत ने वादी को सुनकर दावा डिक्री कर दिया । जिसमें दावे में अपनाई जाने वाली किसी भी विधिक प्रक्रिया की कोई पालना नहीं की गई । न तो प्रतिवादी सं 2 से 10 की तलबी हुई और ना ही व जबाब दावा पेश हुआ । इतना ही नही नियत तारीख पेश से पूर्व ही पत्रावली को बिना प्रतिवादी को सूचना दिये तारीख पेशी में लेकर प्रकरण का निस्तारण किया गया जो कानूनी प्रावधानों के विपरित है । अदालत मातहत को प्रकरण को व नियत तारीख पेशी से पूर्व पेशी पर लिये जाने से पूर्व सभी पक्षकारों को सूचना देनी चाहिये थी केवल वादी के प्रार्थना पत्र पर निर्णय करना प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरित है। अदालत मातहत में प्रतिवादीगण को सूचना तक नहीं दी गई प्रतिवादी स0-2 से 10 की तो तलबी होना ही शेष था । प्रतिवादी संख्या-1 जरिये वकील हाजिर था जिसको भी कोई सूचना नही देकर आदेश पारित किया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरित तथा बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये आदेश पारित किया है । विधिक प्रक्रिया नहीं अपनाये जाने के कारण प्रकरण का मैरिट पर निर्णय कर सर्व प्रथम दावे में अपनाई जाने वाली विधिक प्रक्रियाओं को ही पूर्ण कर पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देकर प्रकरण का निर्णय करवाने

दिनांक	आज्ञा पत्र	
	अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा विद्वान उप खण्ड अधिकारी झुन्झुनू का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 6-9-2015 को खारिज किया जाता है तथा प्रकरण अदालत मातहत को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि वह प्रकरण में पक्षकारो को सुनवाई एवं साक्ष्य सबुत पेश करने का समुचित अवसर देते हुये अपना निर्णय विधिक प्रक्रिया अपनाते हुये पुनः पारित करें । पक्षकार अदालत मातहत में दिनांक 2-8-2018 को पेश हो । निर्णय सरे इजलास सुनाया गया । 2/7/18 (भंवरलाल मेहरड़ा) भू-प्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर	